FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 7 तक की संयुक्त खातेदारी की आराजियात ग्राम करसाना में स्थित है जिसके खसरा संख्या 1233, 1234, 1271, 1272 है। उक्त आराजियात मे से आराजी नम्बर 1233 प्रार्थी के हक हिस्से में आई हुई है जिसका प्रार्थी उपयोग कर रहा है। प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी संख्या 1233 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर एक सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाई गई जिस पर विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के नाम पर है। प्रार्थी एवं सहखातेदार की आराजी संख्या 1271, 1272 को सिंचित करने हेतु प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1233 पर लगी ट्यूबवेल से सिंचित करना चाहता है जो प्रार्थी के हक हिस्से एवं बटवारे मे है जिस हेतु अपनी ट्यूबवेल से जमीन के अन्दर नीचे 4 फीट गहरी खाई खोदकर पाईप लाईन डालना चाहता है। जिस हेतु प्रार्थी के लगी हुई ट्यूबवेल आराजी संख्या 1233 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से लगाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 1233, 1234 के दक्षिणी पाली से होकर आराजी संख्या 1234 की पूर्वी पाली से होते हुए आराजी संख्या 1240/1, 1240/2, 1240/3, एवं 1240 की दक्षिणी पाली से होते हुए आराजी संख्या 1236/1, एवं 1669/1236 एवं 1236/2 के दक्षिणी पाली से होते हुए आम रास्ता आराजी नम्बर 1250 के दक्षिण में होते हुए आराजी संख्या 1594/1259 की पूर्वी पाली से होकर आराजी संख्या 1270 की उत्तरी पाली से होते हुए आराजी संख्या 1272 में भी	

3/10/25

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

[illegible] रामलाल गाडरी बनाम [illegible] लाल गाडरी किस्म मुकदमा प्रा. पत्र

251(ए) नं. 07/2025 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाईप लाईन से सिंचाई करना चाहता है। इसलिए प्रार्थी ने अपनी आराजी संख्या 1233 से विपक्षी संख्या 8 से लगायत 21 तक की आराजी नम्बर 1236/1, एवं 1669/1236 मे होते हुए अपनी आराजी संख्या 1271 व 1272 को सिंचाई करने हेतु पाईप लाईन डालने की अनुमति चाही गई इस पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज कर विपक्षीगण को जरिये समन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 तक बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 8 से लगायत 21 तक की ओर से जवाब पेश हुआ जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 जा.दी. का पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 जा.दी. पर वकील प्रार्थी की कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 जा.दी. को स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार डूंगला से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार डूंगला को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/323 दिनांक 26-9-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि ग्राम करसाना की आराजी नम्बर	

3/10/25

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1232 रकबा 1.30 है. किस्म चौ.1 में खातेदार है। किस्म चौ. 1 में खातेदार 1232 रकबा 1.30 है किस्म चौ.1 का 1/3 हिस्सा लेकर आवेदक शिव बंसल भारती का 1/3 हिस्सा लेकर अलग से लगा हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी मौके पर नलकूप लगा हुआ है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजी सं. 1271 व 1272 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी मौके पर काश्त की जा रही है कर 1/3 हिस्सा पर मौके पर आराजी संख्या 1232 में स्थित रहा है। मौके पर आराजी संख्या 1232 में स्थित नलकूप से प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी 1272 व 1271 में सिंचाई हेतु आराजी 1232 से 1233, 1234, 1240/1, 1240/2 तक भूमिगत पाईप लाईन प्रार्थी द्वारा डाली जा चुकी है। तथा दूसरी तरफ आराजी संख्या 1272 से 1270, 1594/1259 पाईप लाईन लगा चुका है। आराजी संख्या 1240, 1236/1, 1669/1236, 1236/2 व 1250, 1240/3 से भूमिगत लाईन बिछाई जाने पर सिंचाई संभव है जिसकी लम्बाई 172 मीटर तथा चौड़ाई 0.5 मीटर होगी जिसका कुल रकबा 0.0086 हैक्टेयर लाईन बिछाने के लिए प्रयुक्त होगा जिसको नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। तथा भूमिगत पाईप लाईन वर्तमान समय में डाली जा चुकी है उसको ब्लैक स्याही से नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में नलकूप आराजी नम्बर 1233 में लगा होना बताया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में आराजी नम्बर 1232 में नलकूप स्थित होना पाया जाने से आराजी 1232 से 12[illegible] तक पाईप लाईन को [illegible] अंकित किया गया है। इस [illegible] का एक संलग्न राजस्व रिकार्ड [illegible] हल्का द्वारा [illegible] गई जांच रिपोर्ट [illegible] कर परीक्षण किया गया तत्पश्चात [illegible] पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा में प्रदर्शित किये गये लाल स्याही की रिपोर्ट के	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ ......मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़
भगवानलाल ......बनाम सी.टी.प्लान ......किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र
...23/42...... नं ......7/2025...... सन ...2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार भूमिगत पाईप लाईन डाली जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि आराजी संख्या 1240, 1236/1, 1669/1236, 1236/2 व 1250, 1240/3 में वर्तमान में मौके पर नजरी नक्शा में प्रदर्शित लाल स्याही के अनुसार 172 मीटर लम्बाई में तथा 0.5 मीटर चौड़ाई में तीन फीट गहराई में भूमिगत पाईप डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। पाईप लाईन विपक्षीगण को बिना किसी प्रकार की हानि नुकसान पहुंचाये प्रार्थी पाईप लाईन डालने का कार्य सम्पादित करें। पाईप लाईन डालने हेतु नियमों में बिना प्रतिफल राशि चुकाये पाईप लाईन डालने का प्रावधान है इसलिए विपक्षीगण को कोई मुआवजा राशि देय नहीं होगी। आराजी नम्बर 1240 व 1240/3 के खातेदारों की सहमति होना प्रार्थी द्वारा बताया गया है। आराजी संख्या 1250 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 1236/1, 1669/1236 व 1236/2 के खातेदार प्रकरण में पक्षकार है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि पाईप लाईन डालने के पश्चात आराजीयात को पूर्व की तरह समतल करना सुनिश्चित करेगा। मौके पर पाईप लाईन डालने के दौरान प्रार्थी एवं विपक्षीगण आपस में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा विवाद आदि नहीं करेगा। नजरी नक्शा के अनुसार पाईप लाईन डालने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner